ई-मेल/त्वरित डाक

सं.एमएसडीई-18011/डीजीटी/2017-टीटीसी (पार्ट-III)
भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय
रोजगार कार्यालय भवन, आईसीएआर परिसर
पूसा, नई दिल्ली - 110012, दिनांक: 04 .10.2018

सेवा में

1. सभी राज्य निदेशक/आयुक्त, शिल्पकार तथा शिक्षुता प्रशिक्षण
2. प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन अखिल राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) तथा एनएसटीआई (डब्ल्यू)
3. प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन सभी क्षेत्रीय निदेशक, शिक्षुता प्रशिक्षण

विषयः एनसीवीटी के तत्वाधान में आयोजित अखिल भारतीय व्यावसाय परीक्षा में सुधार - तत्संबंधी

महोदय,

"मानदंड तथा पाठ्यक्रम" पर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) की उप-समिति के अधीन एनसीवीटी के तत्वाधान में आयोजित परीक्षाओं के लिए परीक्षा पद्धति संबंधी "पाठ्यक्रम तथा परीक्षा सुधार समिति" की अनुशंसा के सन्दर्भ में, एतदद्वारा एनसीवीटी के तत्वाधान में आयोजित अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा (एआईटीटी) में लागू किए जाने हेतु निम्नलिखित सुधार स्वीकार किए जाते हैं।

i) एतदधीन सभी सुधार अगस्त, 2018 के प्रवेश सत्र से प्रारम्भ होने वाले बैच के लिए लागू होंगे। तथापि अंक तालिका में अनुग्रह अंक (जी) दर्शाने संबंधी नीति सभी योजनाओं के लिए तत्काल प्रभाव से कार्यान्वित की जाए।

ii) प्रशिक्षण महानिदेशालय अगस्त, 2018 से प्रारम्भ सत्र के लिए दाखिल किए गए आईटीआई प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षा ऑन-लाइन करवा सकता है।

iii) अगस्त, 2018 सत्र के आगे से आईटीआई में प्रवेश प्राप्त तथा सैद्धान्तिक पेपरों (परीक्षाओं) में अनुत्तीर्ण रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों के लिए एक या अधिक पेपर्स (परीक्षाओं) में प्रति परीक्षा अधिकतम 06 (छह) अनुग्रह अंक प्रदान किए जाने चाहिए तथा व्यावहारिक (प्रेक्टिकल) परीक्षाओं में कोई अनुग्रह अंक न दिया जाए।
उपर्युक्त की तरह अन्य योजनाओं यथा सीटीएस, एटीएस तथा सीआईटीएस के अधीन डीएसटी, फ्लैक्सी एमओयू तथा सीओई में अगस्त, 2018 के उपरान्त आयोजित परीक्षाओं के लिए भी समान अनुग्रह अंक प्रदान किए जा सकते हैं।

तथापि अगस्त, 2018 से पूर्व सेमेस्टर सिस्टम के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों के लिए सेमेस्टर सिस्टम की समाप्ति तक मौजूदा मार्गनिर्देशों के अनुसार इंजी. व्यावसायों के लिए 07 (सात) तथा गैर-इंजी.व्यावसायों के लिए 02 (दो) अनुग्रह अंक प्रदान किए जाते रहेंगे। ये अनुग्रह अंक 'अंक पत्रक' में 'जी' के रूप में न दर्शाए जाएं वरन उस पेपर में दिए गए अनुग्रह अंक प्रशिक्षणार्थी द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़े जाने चाहिए ताकि पास होने के अंक के बराबर अंक आ जाए और फलतः प्रशिक्षणार्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों में वृद्धि हो जाए।

iv) एनएसक्यूएफ प्रमाणित पाठ्यक्रम में सत्र अगस्त, 2018 के आगे से आईटीआई में दाखिल प्रशिक्षणार्थियों के लिए शिल्पकार प्रशिक्षण योजना में सैद्धान्तिक परीक्षाओं में पास होने के अंक प्रतिशत एतद्वारा मौजूदा 40% से घटाकर 33% किया जाता है। हालांकि व्यावहारिक (प्रेक्टिकल) परीक्षा में पास होने के अंक प्रतिशत 60% ही बना रहेगा।

तदनुसार, एक वर्षीय तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों की प्रथम तथा द्वितीय वर्ष की अंक तालिकाओं का संशोधित संरूप संलग्न है। व्यावहारिक (प्रेक्टिकल) परीक्षाओं में अनुग्रह अंक की कोई व्यवस्था नहीं है।

v) एनसीवीटी ने निम्नलिखित मामलों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की राष्ट्रीय ग्रेडिंग के अनुसार सरकारी तथा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को वर्गीकृत स्वायत्तता प्रदान करने का विनिश्चय किया है:

क) जिन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की अवसंरचना एनसीवीटी मानदंडों के अनुरूप है वे सभी जनवरी/फरवरी 2019 से सेमेस्टर सिस्टम में आयोजित की जाने वाली अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा की व्यावहारिक (प्रेक्टिकल) परीक्षा के लिए तथा तत्पश्चात वार्षिक परीक्षाओं के लिए भी स्वयं केन्द्र होंगी। हालांकि संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के निदेशालय द्वारा 2.5 से कम के ग्रेड वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा सभी ग्रेड नहीं किए गए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यावहारिक (प्रेक्टिकल) परीक्षाओं के लिए बाह्य परीक्षक नियुक्त किए जाएंगे।

ख) ऐसे सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिनकी अवसंरचना एनसीवीटी के मानदंडों के अनुरूप है तथा ग्रेड 2.5 के बराबर या इससे अधिक है, व्यावहारिक (प्रेक्टिकल) परीक्षा के लिए अपने केन्द्र के अलावा व्यावहारिक (प्रेक्टिकल) परीक्षा हेतु अपने परीक्षक रख सकेंगे। तथापि, ऐसे परीक्षक वे अनुदेशक नहीं होने चाहिए जिन्होंने प्रशिक्षण के दौरान संबंधित यूनिट/पाली में प्रशिक्षणार्थियों को पढ़ाया हो।

ग) दिव्यांग प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सैद्धांतिक परीक्षा एवं व्यावहारिक (प्रेक्टिकल) परीक्षा के लिए अपने परीक्षा केन्द्र बनाएंगे तथा व्यावहारिक (प्रेक्टिकल) परीक्षा के लिए उनके अपने परीक्षक भी रख सकेंगे।

vi) उपर्युक्त सभी मामलों में परीक्षा के समग्र पर्यवेक्षण हेतु राज्य निदेशक प्रेक्षक नियुक्त करेंगे।

व्यावहारिक (प्रेक्टिकल) परीक्षक की अर्हता: संबंधित विधा में 03 वर्ष के अनुभव के साथ डिग्री/डिप्लोमा तथा सीआईटीएस पास के अलावा, व्यावहारिक (प्रेक्टिकल) परीक्षक के रूप में चयन हेतु अर्हता में छूट देते हुए आईटीआई पास तीन वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ अनुदेशकों को भी चयनित किया जा सकता है।

vii) कोई भी स्थापना (संस्था) जिसके एक परिसर में 100 से अधिक शिक्षु दाखिल हैं एटीएस के अंतर्गत एआईटीटी में अपने शिक्षुओं की व्यावहारिक (प्रेक्टिकल) परीक्षा आयोजित करने हेतु अपने व्यावहारिक (प्रेक्टिकल) परीक्षा केन्द्र बना सकती है और मूल्यांकन भी उसके अपने परीक्षक कर सकते हैं तथा उनके अपने प्रश्न-पत्र सैट हो सकते हैं। हालांकि शिक्षुओं द्वारा प्राप्त अंक सम्बन्धित आरडीएटी/एसएए को प्रस्तुत करना आवश्यक है ताकि आगे कार्रवाई कर परिणाम घोषित किए जा सकें। ऐसी संस्था के पास व्यावहारिक (प्रेक्टिकल) परीक्षा हेतु एनसीवीटी के मानदंडों के अनुसार सभी अवसंरचना होनी चाहिए।

viii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों के परिणामों की शीघ्र घोषणा के लिए आईटीआई प्रशिक्षणार्थियों की इंजीनीयरिंग ड्राइंग उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षा की अंतिम तारीख के 03 (तीन) कार्य दिवसों के भीतर प्रत्येक जिला नोडल आईटीआई द्वारा मूल्यांकित की जानी चाहिए तथा व्यावहारिक (प्रेक्टिकल) तथा इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंक नोडल आईटीआई द्वारा एनसीवीटीएमआईएस पोर्टल पर अपलोड किए जाने चाहिए।

ix) अगस्त, 2018 के सत्र व इसके बाद दाखिल आईटीआई प्रशिक्षणार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा जुलाई/अगस्त की बजाय मई/जून में आयोजित की जाए। तदनुसार पूरक परीक्षा भी प्रतिवर्ष नवम्बर/दिसम्बर में आयोजित की जा सकती है।

x) सीटीएस, सीआईटीएस तथा एटीएस के अंतर्गत 50 से 75 एमसीक्यू टाईप प्रश्नों वाले प्रश्न-पत्र के लिए प्रशिक्षणार्थियों की ओएमआर आधारित/ऑन-लाइन परीक्षा में वस्तुपरक एमसीक्यू टाईप प्रश्न-पत्र परीक्षा के सैद्धान्तिक पेपरों की परीक्षा अवधि एतद्वारा कम करके 03 घंटे से 02 घंटे की जाती है, 25 एमसीक्यू टाइप प्रश्नों

वाले प्रश्न-पत्र की अवधि 03 घंटे से घटाकर 1.30 घंटा की जाती है तथा इंजीनीयरिंग ड्रांईग पेपर की अवधि 04 घंटे से कम करके 03 घंटे की जाती है। व्यावहारिक (प्रेक्टिकल) परीक्षा की अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

xi) निजी/सरकारी आईटीआई में तीन वर्ष के शिक्षण अनुभव वाले सेवारत आईटीआई अनुदेशकों को पूर्व सीखने की मान्यता (रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (आरपीएल)) के रूप में राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाणपत्र (एनसीआईसी) का प्रमाणीकरण किया जाएगा, सरकारी/निजी आईटीआई के सेवारत अनुदेशकों को निजी अभ्यर्थियों के रूप में एनसीवीटी के सीएफआई पोर्टल के माध्यम से किसी एनएसटीआई में पंजीकृत होना चाहिए। ऐसे प्रयोजन के लिए उन्हें संबंधित एनएसटीआई में आयोजित परीक्षा में शामिल होना होगा।

प्रशिक्षण क्रिया विधि (ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी) के एक महीने के प्रशिक्षण की स्व-शिक्षण सामग्री सीएसटीआरएआई वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जाएगी तथा उक्त परीक्षा में बैठने के इच्छुक सेवारत अनुदेशकों को परामर्श दिया जाता है कि वे परीक्षा में बैठने से पूर्व इसका अध्ययन करें। सरकारी आईटीआई के अनुदेशक की अनुशंसा राज्य निदेशालय द्वारा तथा निजी आईटीआई के अनुदेशक की अनुशंसा संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा की जानी चाहिए।

ऐसे अनुदेशकों का ब्यौरा सीएफआई पोर्टल में निजी अभ्यर्थी के रूप में अनुदेशकों के पंजीयन हेतु किसी एनएसटीआई को भेजा जाना चाहिए। एनएसटीआई के निदेशक द्वारा अनुशंसा की जांच कर पात्र अभ्यर्थी का पंजीकरण और सीएफआई पोर्टल में निजी अभ्यर्थी के रूप में करना चाहिए।

संबंधित एनएसटीआई, प्रशिक्षण महानिदेशालय से प्राप्त प्रश्न-पत्र से परीक्षा आयोजित करेगा और अभ्यर्थी निजी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा में बैठेंगे। परीक्षाएं 03/04 दिन की अवधि के लिए हर 02 से 03 महीने में आयोजित की जा सकती हैं।

प्रारम्भ में प्रमाणीकरण का यह तरीका केवल 02 वर्ष अर्थात दिसम्बर, 2020 तक सुलभ रहेगा। यदि अपेक्षित हो, तो भविष्य में 3 या अधिक ग्रेड वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है।

प्रति अभ्यर्थी पंजीयन/परीक्षा शुल्क 3000/- रू. लिया जाएगा।

कुल 500 अंकों की परीक्षा निम्न प्रकार होनी चाहिए -

क) पहला दिन सुबह सत्र – 03 भागों में सैद्धान्तिक पेपर = 150 अंक
   1. व्यवसाय थ्योरी – 50 अंक
   2. कार्यशाला विज्ञान तथा गणना – 50 अंक
   3. प्रशिक्षण क्रिया विधि – 50 अंक

ख) पहला दिन, अपराह्न सत्र – इंजीनीयरिंग ड्राइंग - (50 अंक)

ग) दूसरा दिन - पूरा दिन – प्रशिक्षण क्रिया विधि व्यावहारिक (प्रेक्टिकल) परीक्षा - (100 अंक) अर्थात
   i. पाठ योजना विकास - 20 अंक
   ii. प्रदर्शन योजना विकास - 20 अंक,
   iii. कक्षा पाठ योजना प्रस्तुतिकरण - 30 अंक
   iv. कार्यशाला/प्रयोगशाला में प्रदर्शन कार्य-कलाप - 30 अंक

घ) तीसरा दिनः पूरा दिन – व्यवसाय व्यावहारिक (प्रेक्टिकल) परीक्षा (200 अंक) यदि आवश्यकता पड़े तो अगले दिन जारी रखी जाए।

पास होने का अंक प्रतिशत परीक्षा के प्रत्येक भाग के लिए अलग-अलग 60% होगा।

आपसे अनुरोध है कि राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) के तत्वाधान में आयोजित परीक्षाओं में उपर्युक्त सुधारों के कार्यान्वयन और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी सम्बंधित को इसकी सूचना दें।

भवदीय,

(एस.डी.लाहिरी)
उप महानिदेशक (टीएंडई)

प्रतिलिपिः प्र.नि.स (डीजी/एएस), उप-महानिदेशक (सीएंडपी), उप-महानिदेशक (एटी), निदेशक (सीएफआई), निदेशक (एटी) निदेशक (टी) सदस्य सचिव, एनसीवीटी तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के सभी अनुभाग।

*नोटः वाक्यार्थ भिन्नता होने पर अंग्रेजी वर्जन ही मानक माना जाएगा।